

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(1)साप्र / 5 / 2015

जयपुर, दिनांक: 28.06.2016

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ.7(2)साप्र / 5 / 06 दिनांक 27.10.2006 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है:—

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. ट्रांजिट हॉस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरियता संख्या	ग्रेड-पे	आवंटित आवास संख्या
1	श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा, आर०ए०एस०, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	13/2015	7600/-	F-1/4 NTH, गांधीनगर, जयपुर
2	श्री गोविन्द देथा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडीसीबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	18/2016	6600/-	F-1/3 NTH, गांधीनगर, जयपुर
3	डॉ मनोज कुमार सोनी, सहायक आचार्य, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	25/2014	6600/-	F-2/1 NTH, गांधीनगर, जयपुर
4	श्रीमती सविता दहिया, आईएफएस (प्रशिक्षु) मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जयपुर	12/2016	5400/-	01 OTH, गांधीनगर, जयपुर
5	श्रीमती सोविला माथुर, प्रबन्धक, रवीन्द्र मंच, जयपुर	14/2015	5400/-	07 OTH, गांधीनगर, जयपुर
6	सुश्री राधिका देवी, प्रशिक्षु, आर०ए०एस०, हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, हाल सहायक कलक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण), जयपुर।	08/2016	5400/-	10 OTH, गांधीनगर, जयपुर
7	डॉ ललिता शर्मा, लेखाधिकारी वरिष्ठ प्रबन्धक, प्रोक्योरमेन्ट, आर एम एस सी एल जयपुर	70/2014	5400/-	13 OTH, गांधीनगर, जयपुर
8	कमल प्रीत कौर, अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोषालय, सचिवालय, जयपुर	09/2015	5400/-	14 OTH, गांधीनगर, जयपुर
9	श्रीमती मंजू कुमारी, लेखाधिकारी, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	56/2015	5400/-	21 OTH, गांधीनगर, जयपुर
10	सीमा कौशल, आर.एसी.एस (अकाउण्ट्स सर्विसेज), वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	72/2015	5400/-	F-4/3 OTH, गांधीनगर, जयपुर
11	मंजू देवी, प्रशिक्षु अधिकारी, राजस्थान लेखा सेवा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	27/2016	5400/-	F-4/4 OTH, गांधीनगर, जयपुर

12	प्रीति वर्मा, प्रशिक्षु लेखाधिकारी, राजस्थान लेखा सेवा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	30/2016	5400/-	G-5/1 OTH, गांधीनगर, जयपुर
----	--	---------	--------	-------------------------------

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(रामावतार ककड़)

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर— कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग— आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग—कृपयां आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
7. रक्षित पत्रावली।

1/2/2016
अनुभागाधिकारी



E-Mail

**राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग**

क्रमांक: प.4(1)साप्र / 5 / 2015

जयपुर, दिनांक: 28.06.2016

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के तहत निम्नलिखित आवंटी को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनको आवंटित आवास की कब्जा अवधि पत्र जारी होने की तिथि से तीन दिवस तक बढ़ाई जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवास संख्या
1	डॉ० पिनाकिन पटेल, सहायक आचार्य (सर्जरी), सर्जरी विभाग, एस०एम०ए० हॉस्पिटल, जयपुर	G-2/1 NTH गांधीनगर, जयपुर

उक्त आवंटी को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें आवंटित आवास का कब्जा तीन दिवस में लेकर इस विभाग को सूचित करें। उक्त अवधि में आवास का कब्जा नहीं लेने पर आवंटन निरस्त हो जावेगा। आवंटन की शर्तें पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19.10.2015 अनुसार रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

ED

(रामावतार कक्कड़)

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, शासन उप सचिव (ए), साप्रवि।
6. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
7. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-कृपया आवंटन पत्र वेबसाईट पर डाले।
8. रक्षित पत्रावली।

*रामावतार कक्कड़
अनुभागाधिकारी*